वर्ष 4 अंक 8 अगस्त 1982 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

8 जुलाई : एक और स्मरणीय दिन

संसद पर मजदूरों के प्रदर्शन का एक दृश्य

भारत में मजदूर वर्ग के एकजुट आंदोलन ने 8 जुलाई को, संसद के अधिवेशन के पहले दिन, एक और स्मरणीय दिन स्थापित किया. इस दिन राज्यों में दसियों हजारों मजदूरों ने रैलियां आयोजित की तथा चार श्रम विरोधी काले विधेयकों की तुरन्त वापसी की मांग की. ये चार विधेयक : औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक, हस्पताल व अन्य संस्थान (विवादों का हल) विधेयक तथा वेतन अदायगी (संशोधन) विधेयक, सरकार द्वारा संसद के पिछले अधिवेशन में पेश किए गए थे और ये सरकार के एस्मा व एन एस ए से लैस होने के बाद मजदूरों के सभी ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीनने के इरादे से पेश किए गए. इसके अलावा औद्योगिक विवाद कानून के दायरे से हस्पतालों व अन्य संस्थानों के मजदूरों को निकाल कर सुप्रीम कोर्ट के "उद्योग" की परिभाषा को विस्तारित करने वाले फैसले को ये संशोधन पूरी तरह नकारते हैं.

इंटक के अलावा सीटू व अन्य सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार की आलोचना की और विधेयकों को पूरी तरह अस्वीकृत कर दिया. राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर मजदूरों ने सभी राज्यों में भारी एकता प्रदर्शित की.

इंटक, जिसने 1978 में जनता सरकार के खिलाफ तत्कालीन संयुक्त मंच को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, इस बार मजदूर वर्ग के खिलाफ बुर्जुवा-भूपति सरकार के हितों की रक्षक बनी रही. अपने चरित्र के अनुसार इंटक के गुन्डें "पूंजीपति वर्ग के श्रम सरदार" के रूप में काम करते हुए विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनों को छिन्न-भिन्न करने की कोशिश करते रहे. लेकिन सभी संघर्षों के बर्बर दमन से क्रोधित मजदूरों की भारी शक्ति ने इन गुन्डों को सीधा कर दिया.

दिल्ली

कड़कती धूप में 20 हजार से भी ज्यादा दिल्ली व आस-पास के इलाकों के मजदूर फिरोजशाह कोटला से आठ किलो मीटर का रास्ता तय करके बोट क्लब पहुंचे और सरकार को काले विधेयकों व इसकी श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ चेतावनी दी.

रैली को संबोधित करते हुए सीटू सचिव एम. के. पंधे ने काले विधेयकों के खिलाफ मजदूरों को भारी प्रदर्शन के लिए बधाई दी. क्योंकि सरकार अनेक वर्षों के संघर्षों व त्याग से प्राप्त मजदूरों के अधिकारों को छीनने पर तुली हुई है इसलिए उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि वे सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ और भी अधिक एकता बनाएं व लगातार संघर्ष शुरू करें. एटक के महासचिव इंद्रजीत गुप्ता ने मजदूरों का आह्वान किया कि वे काले विधेयकों के खिलाफ उसी तरह संघर्ष करें जैसे औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के खिलाफ किया गया था ताकि जनता सरकार की तरह इंदिरा सरकार भी अपने कदम वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए. रैली को सम्बोधित करने वालों में यूटीयूसी के पीयूष टिर्की, टी यू सी सी के अमर चक्रवर्ती, एच एम एस के डी.डी. विशिष्ट, इंटक(दारा) के जे.एस. दारा, बी.एम.एस. के आर.बी. सिंह, और यू टी यू सी (एल एस) के प्रीतीश चंदा शामिल थे.

बाद में दिल्ली अभियान समिति के नेताओं ने विधेयकों की वापसी की मांग करते हुए एक ज्ञापन लोक सभा के अध्यक्ष को दिया.

पश्चिम बंगाल

कलकत्ता में श्रम विरोधी काले विधेयक दिन मनाते हुए एक भारी रैली आयोजित की गई. रैली की अध्यक्षता करते हुए सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के महासचिव मनोरंजन राय ने कहा कि इंदिरा सरकार ने इन विधेयकों को भारतीय व विदेशी इजारेदारों के हितों में आई. एम. एफ. के कहने पर पेश किया गया है.

भारी संख्या में विभिन्न यूनियनों के मजदूरों ने कलकत्ता की गलियों से कूच करते हुए रैली में भाग लिया. रैली को अन्यों के अलावा एटक, टी. यू. सी. सी, यू. टी. यू. सी, 12 जुलाई कमेटी, बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन, फेडरेशन आफ मर्केंटाइल एम्प्लाईज यूनियन्ज आदि के नेताओं ने संबोधित किया. समूचे राज्य में रैलियां व प्रदर्शन आयोजित किए गए.

तमिलनाडु

मद्रास में पेरिस कार्नर से एक भारी जुलूस शुरू हुआ और यह सिगन्ना शेट्टी स्ट्रीट में एक रैली में बदल गया. यह सभा ट्रेड यूनियनों की ज्वाइंट काउंसिल ने आयोजित की थी और इसे सीटू के वी. पी. चिंतन के अलावा के. एन. सुन्दरम, बेन वाल्टैर, के. एस. नारायणन, आदि ने संबोधित किया.

महाराष्ट्र

ट्रेड यूनियन ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बंबई में शिवाजी पार्क में एक लाख मजदूरों की रैली आयोजित की. रैली में बंबई के हड़ताली टैक्सटाइल मजदूरों की मांगें भी उठाई गईं. मजदूरों में आतंक पैदा करने के लिए इंटक के गुंडों ने गिरनी कामगार सभा के एक टैक्सटाइल कार्यकर्त्ता की हत्या कर दी. सीटू के एक कार्यकर्त्ता एस. एम दाल्वी को निष्कासन आदेश दे दिए गए. लेकिन ये घिनौने कारनामें भी मजदूरों के जोश को कम नही कर सके और वे भारी संख्या में रैली में शामिल हुए.

सीटू की महाराष्ट्र कमेटी के महासचिव पी. के. कुरणे ने सरकार के कारनामों की निंदा की और मजदूरों का तब तक संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया जब तक ये विधेयक वापस नहीं लिए जाते. जिन्होंने रैली को संबोधित किया उनमें जी. वी. चिटनिस (एटक), सोमनाथ दूबे (एच. एम. एस), पुष्पा महत्ता (यू टी यू सी), दत्ता सामंत (एम जी के यू), जयंत गोखले (बी. एम. एस), आर जी कार्निक (राज्य सरकार कर्मचारी) व अन्य शामिल थे.

बिहार

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा सेवा एसोसिएशनों व फेडरेशनों से सम्बंधित मजदूरों का एक भारी जुलूस पटना डिविजनल इन्शोरेंस एम्प्लाईज के यूनियन कार्यालय से शुरू हुआ और इसे सचिवालय के समीप बैली रोड़ चौराहे पर पुलिस द्वारा रोक लिया गया. जुलूस यहीं पर एक रैली में बदल गया जिसकी अध्यक्षता सीटू के हरी कृष्ण ने की. एटक, बी एम एस, यू टी यूसी (एल एस), यूनियनों व एसोसिएशनों की कोआर्डिनेशन कमेटी व अन्य संगठनों के नेताओं ने इसे सम्बोधित किया.

इसी प्रकार की रैलियां राज्य के अन्य भागों में भी आयोजित की गई.

असम

गोहाटी व राज्य के अन्य भागों में रैलियां, सभाएं व प्रदर्शन आयोजित किए गए. डिब्रूगढ़ जिला अभियान समिति ने एक जनसभा आयोजित की जिसमें रेलवे, चाय बागान, बैंक, एल आई सी, जी आई सी, दर्जियों की यूनियनों, मोटर उद्योग, विद्युत मजदूरों, संस्थान मजदूरों, कुक व स्वीटमीट मेकर्स यूनियंज, हस्पताल व अन्य संस्थानों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. काले विधेयकों की वापसी की मांग करते हुए प्रस्ताव प्रधान मंत्री के नाम भेजे गए. इसी तरह के प्रस्ताव तिनसुकिया, दूमदूमा व अन्य स्थानों से विभिन्न यूनियनों ने भेजे.

मेघालय

मेघालय राज्य अभियान समिति ने शिलांग में एक जनसभा आयोजित की. इसे विभिन्न यूनियनों के नेताओं ने सम्बोधित किया. विधेयकों की वापसी की मांग करते हुए प्रस्ताव भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, श्रम मंत्री व मेघालय के राज्यपाल के नाम भेजे गए.

कर्नाटक

बंगलोर व कर्नाटक के अन्य स्थानों पर जन सभाएं आयोजित की गईं. विधेयकों की वापसी की मांग करते हुए तार व प्रस्ताव प्रधान मंत्री के नाम भेजे गए.

उत्तर प्रदेश

कानपुर, लखनऊ व अन्य स्थानों पर सीटू ने अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ मिल कर रैलियां व सभाएं आयोजित कीं. काले विधेयकों की वापसी की मांग करते हुए विभिन्न जन संगठन रैलियों में शामिल हुए.

मध्य प्रदेश

राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां आयोजित की गई जिनमें विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में संगठित मजदूरों व कर्मचारियों के विभिन्न हिस्सों ने भाग लिया. रैली का विशेष महत्व इसलिए है कि इसमें भिलाई के इस्पात मजदूरों तथा कोयला खदान मजदूरों ने भारी संख्या में भाग लिया. कोयला श्रमिक संघ (सीटू) की विभिन्न शाखाओं ने काले विधेयकों की वापसी की मांग करते हुए श्रम मंत्री के पास तार भेजे हैं. हिन्दुस्तान स्टील एंप्लाईज यूनियन (सीटू), भिलाई स्टील मजदूर सभा (एटक), भिलाई श्रमिक सभा (एच एम एस) और एच एस सी एल यूनियनों ने इस्पात भवन के सामने काले विधेयकों, एस्मा, एन एस ए तथा उत्पादकता से जुड़े वेतन के खिलाफ एक भारी प्रदर्शन किया. रैली को अन्यों के अलावा पी.के. मुखर्जी (सीटू), एम.सी सोनी (एटक) तथा मार्कंडे दूबे (एच एम एस) ने संबोधित किया.

छः लाख मजदूरों की प्रतिनिधि आल इंडिया कोल वर्कर्स फडरेशन ने काले विधेयकों की वाससी की मांग करते हुए प्रधान मंत्री के नाम एक तार भेजा.

समूचे देश के विभिन्न हिस्सों से अनेक तार व प्रस्तावों की प्रतिलिपियां अनेक यूनियनों व फेडरेशनों द्वारा प्रधान मंत्री व श्रम मंत्री के नाम भेजी गईं.

सीटू द्वारा मजदूर वर्ग का अभिनंदन

सीटू अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे व महासचिव पी. राममूर्ति ने आठ जुलाई को यह बयान जारी किया:

सीटू देश के मजदूर वर्ग को चार प्रतिगामी श्रम विरोधी काले विधेयकों : औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, ट्रेड यूनियन (संशोधन) विधेयक, हस्पताल व अन्य संस्थान (विवादों का हल) विधेयक और वेतन की अदायगी (संशोधन) विधेयक जो मजदूर वर्ग के बुनियादी अधिकार-संगठन की स्वतन्त्रता, संगठन के अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार तथा हड़ताल के अधिकार को छीनने के इरादे से बनाए गए हैं, के खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर करने के लिए भारी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए बधाई देती है.

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान का जोश के साथ समर्थन करते हुए मजदूर वर्ग ने एक बार फिर अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीनने की सभी कोशिशों के खिलाफ संघर्ष करने की अपनी संयुक्त इच्छा प्रदर्शित की है.

सीटू दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, पानीपत, मोदीनगर आदि के मजदूर वर्ग का अभिनन्दन करती है जिन्होंने भयंकर गर्मी की परवाह न करते हुए हजारों की संख्या में बोट क्लब में एकत्र होकर जिनमें से अनेकों ने रैली में भाग लेने के लिए काम बन्द किया, अपने आक्रोश व प्रतिरोध का इजहार किया.

सीटू महाराष्ट्र के टैक्सटाइल मजदूरों का भी अभिनन्दन करती है जिन्होंने बंबई के कपड़ा मजदूरों के संघर्ष जो 170 से भी ज्यादा दिनों से जारी है के समर्थन में हड़ताल की है.

सीटू भारत सरकार को चेतावनी देती है कि यदि वह इन मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों को जारी रखती है तो देश भर में औद्योगिक विवाद होना निश्चित है जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर ही होगी.

सीटू देश के समूचे मजदूर वर्ग से अपील करती है कि वह अपनी एकता की रक्षा करे तथा इसे और मजबूत करे और संगठन की स्वतंत्रता, संगठन के अधिकार व सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार व हड़ताल के अधिकार की रक्षा में एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहे. □

हस्पताल व अन्य कर्मचारियों की आन्दोलन की तैयारी

हस्पतालों, शिक्षा व अनुसंधान संस्थानों, खादी उद्योग व सहकारी संस्थानों के संगठनों की एक अखिल भारतीय संयुक्त संघर्ष समिति का 25 जून को नई दिल्ली में गठन हुआ. यह समिति काले विधेयकों के खिलाफ आन्दोलन की तैयारी करेगी. हरी मोहन व नीलांबर पांडे क्रमशः संयोजक व संयुक्त संयोजक चुने गए. बैठक में निम्नलिखित संगठनों ने भाग लिया:

फेडरेशन आफ सी एस आई आर एम्प्लाईज एन्ड वर्कर्स यूनियंज एन्ड एसोसिएसंज; आल इंडिया यूनिवर्सिटी एन्ड कालेज एम्प्लाईज फेडरेशन; पश्चिम बंगाल के स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों की यूनियनों व एसोसिएशनों की संयुक्त संघर्ष समिति; ए ई एस, ए टी आर आई ए, बी एम आई, आई आई एम, आई एस आर ओ—एस ए सी, एन आई डी, एन डी डी बी,

(शेष पृष्ठ चार पर)

भेल समझौता वार्ताओं में कोई प्रगति नहीं

भोपाल सम्मेलन में अपनाए जाने के बाद 23 जून को भेल प्रबंधकों को दिए गए संयुक्त मांग पत्र पर 29-30 जून को बंगलोर में सम्पन्न संयुक्त कमेटी की बैठक में विचार हुआ. इंटक ने भी 29 जून को एक अलग मांग पत्र पेश किया जो अन्य ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए मांग पत्र के लगभग समान था.

ट्रेड यूनियनों द्वारा मांगों के औचित्य की व्याख्या करने के बाद प्रबंधकों ने कहा कि भेल में मौजूदा वेतन ढांचा और अन्य सुविधाएं अन्य सार्वजनिक उद्योगों की तुलना में बेहतर हैं. लेकिन यदि मजदूर दल एक कार्यभार को स्वीकार करे तो प्रबंधक कुछ और राहत देने को तैयार थे. लेकिन ट्रेड यूनियनों ने इसे अस्वीकार कर दिया. मजदूर दल ने इस प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया कि समझौते के लिए संयुक्त कमेटी में भी एक लघु समिति बनाई जाए. मजदूरों के प्रतिनिधियों ने मांग पत्र के हर प्वाइंट पर प्रबंधकों के प्रस्ताव मांगे. प्रबंधक आगामी बैठक में ऐसा करने के लिए राजी हुए.

नई दिल्ली में 11 व 12 जुलाई को सम्पन्न संयुक्त कमेटी की बैठक में भी कोई प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि प्रबंधकों ने कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा बल्कि कुछ मजदूर वर्ग विरोधी प्रति-प्रस्ताव पेश किए जिन्हें मजदूर दल ने रद्द कर दिया. ये उत्पादकता से वेतन जोड़ने के बी पी ई निर्देश के अलावा और कुछ नहीं थे.

प्रबंधकों ने यह कहने की कोशिश की कि औसत वेतन सार्वजनिक संस्थानों में सबसे अधिक है. लेकिन सीटू ने कहा कि लगभग 40 सार्वजनिक उद्योगों में वेतन भेल से ज्यादा हैं.

संयुक्त कमेटी की अगली बैठक 29 व 30 जुलाई को मद्रास में होगी. इसके बाद इसकी बैठक 5 व 6 अगस्त को हरिद्वार में और 29 अगस्त को भोपाल में होगी. यह साफ जाहिर है कि यदि प्रबंधक अपना रवैया नहीं बदलते हैं तो अगस्त के अंत तक समझौता नहीं हो सकेगा.

इसी दौरान, भेल यूनियनों ने 15 जुलाई को अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया. इस दिन सभी प्लांटों व संस्थानों में प्रदर्शन किए गए. सीटू ने सभी ट्रेड यूनियनों से अपील की है कि वे प्रबंधकों के समझौता-वार्ताओं में मौजूदा रवैये को बदलने के लिए प्रबंधकों को मजबूर करने के लिए आन्दोलन को तेज करें. □

हस्पताल... (पृष्ठ तीन का शेष)

व पी आर एल (पश्चिम क्षेत्र) की संयुक्त संघर्ष काउंसिल; सेंट्रल हैल्थ एंप्लाईज फेडरेशन; दिल्ली यूनिवर्सिटी एन्ड कालेज कर्मचारी यूनियन और वाड़िया इंस्टीच्यूट आफ हिमालयन इकोलोजी एंप्लाईज यूनियन. नर्दर्न इन्डिया मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल्ज एंप्लाईज फेडरेशन, खादी ग्राम उद्योग भवन कर्मचारी संघ और आर डी एस ओ कर्मचारी संघ, लखनऊ, ने भी आन्दोलन में शामिल होने की अपनी सहमति प्रकट की है.

बैठक ने संगठनों का आह्वान किया कि वे काले विधेयकों की वापसी मांग करते हुए अपने-अपने इलाकों में गेट मीटिंगें आयोजित करें, पर्चे बांटे और इश्तहार लगाएं. जब विधेयक संसद में विचार के लिए आएंगे उस समय प्रतिरोध प्रदर्शन भी किए जाएंगे. आंदोलन को तेज करने के लिए योजना तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का भी बैठक ने फैसला लिया. बैठक ने यह भी फैसला किया कि राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले राज्य सम्मेलन आयोजित किए जाएं.

हरी कृष्ण और नीलांबर पांडे ने 26 जून को जारी किए गए एक बयान में मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीनने के लिए इन काले विधेयकों को पेश करने के कारण सरकार की निंदा की है. उन्होंने इन्दिरा निजाम की सुप्रीम कोर्ट के हस्पतालों व अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद कानून के तहत लाने के फैसले को पूरी तरह नकारने के लिए कड़ी निंदा की. उन्होंने कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे इन प्रतिगामी विधेयकों के खिलाफ जोशीला आन्दोलन शुरू करें और राष्ट्रीय अभियान समिति के झंडे के नीचे आन्दोलन की मुख्यधारा में शामिल हों.

इन श्रेणियों से सम्बन्धित कर्मचारियों ने भारी संख्या में 8 जुलाई को दिल्ली में आयोजित रैली में भाग लिया. □

एच एस सी एल प्रबंधकों द्वारा संयुक्त मंच की बैठक रद्द

एच एस सी एल के प्रबंधकों ने 28 जून को होने वाली संयुक्त मंच की बैठक मजदूरों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त सूचना दिए बिना एकतरफा रद्द कर दी. प्रबंधकों की इस कार्यवाही को यह कह कर उचित ठहराने की कोशिश की गई कि नए मैनेजिंग डायरेक्टर ने कार्यभार अभी नहीं संभाला है.

जब से मंहगाई भत्ते की किश्त को प्रबंधकों द्वारा अंतरिम राहत की अदायगी में शामिल करने की कोशिश की जा रही हैं संयुक्त मंच की कई बैठकें हुई हैं लेकिन इनके बावजूद नए समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में अभी कोई भी तात्विक प्रगति नहीं हुई है.

सीटू ने प्रबंधकों की इस उदंड कार्यवाही के खिलाफ प्रतिरोध किया है और मंहगाई भत्ते की सभी किश्तों की फौरी अदायगी की मांग की है. इसने संयुक्त मंच की बैठक तुरंत बुलाने की भी मांग की है. □

महिलाओं का दहेज विरोधी आंदोलन

हाल ही में उत्तर-भारत में दुल्हनों को जला कर मार देने की बढ़ती वारदातों के खिलाफ दिल्ली के महिला संगठनों ने आंदोलन छेड़ दिया है. खासतौर से दिल्ली में दुल्हन को जलाने व दहेज कम होने की वजह से उनकी हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं.

जुलाई में संपन्न विभिन्न महिला संगठनों की एक बैठक के फैसले के मुताबिक 3 अगस्त को संसद के सामने एक जन प्रदर्शन किया जाएगा. विभिन्न महिला संगठनों के 50 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया. इन संगठनों में ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक वूमैन्स एसोसिएशन, ऑल इण्डिया कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ वर्किंग वूमैन्स (सीटू), नैशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन वूमैन्स, नारी दक्षता समिति, ऑल इण्डिया वूमैन्स कांफ्रेंस, जनवादी महिला समिति, यंग वूमैन्स क्रिश्चन एसोसिएशन, आदि शामिल हैं. इनके अलावा सीटू, एटक, एस एफ आई, डी वाई एफ आई आदि के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया. नैशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन वूमैन्स की विमला फारूखी ने अध्यक्षता की. पतियों व ससुरालवालों द्वारा दुल्हनों को दहेज के लिए सताए जाने व उनकी हत्या करने की रिपोर्टें ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक वूमैन्स एसोसिएशन की महासचिव सुशीला गोपालन, एम.पी.; नारी दक्षता समिति की प्रमिला दण्डवते, एम.पी.; आल इण्डिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमैन्स की सचिव विमल रणदिवे; जनवादी महिला समिति की रीता करात, तारकेश्वरी सिंहा, एम.पी., अजीजा इमाम, एम.पी., और अन्यों ने पेश की.

इन हत्याओं के प्रति पुलिस के लापरवाह दृष्टिकोण तथा सरकार की भूमिका की बैठक ने निन्दा की. लोकसभा में भी यह स्वीकार किया गया है कि सरकार दहेज के कारण की गई हत्याओं के समूचे देश के आंकड़े इस बहाने से नहीं रखती है क्योंकि यह राज्यों का विषय है. गवाही के अभाव के कारण पुलिस भी इन मामलों में ढील देती है. वक्ताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वह हत्यारों से रिश्वत लेकर मामलों को दबा देती है.

महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए सामंती समाज की पैदायश दहेज प्रथा की बैठक में निन्दा की गई. सभी संगठनों ने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है.

बैठक में दहेज प्रथा के खिलाफ जनता को लामबंद करने और अभियान शुरू करने का फैसला किया गया. इसने सभी संगठनों का 3 अगस्त के प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया. संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक वूमैन्स एसोसिएशन, ऑल इण्डिया वूमैन कांफ्रेंस, नैशनल फेडरेशन आफ इण्डियन वूमैन्स और यंग वूमैन्स क्रिश्चन एसोसिएशन की उपसमिति बनाई. ☐

मादा भ्रूण गिराने के खिलाफ प्रतिरोध

नई दिल्ली में 15 जुलाई को सम्पन्न महिला संगठनों, डाक्टरों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, छात्रों, युवकों व ट्रेड यूनियनों की एक बैठक ने मादा भ्रूण को गिराने के नजरिये से किए जाने वाले लिंग निर्धारण प्रयोग के खिलाफ प्रतिरोध किया है. बैठक को आल इण्डिया डेमोक्रेटिक वूमैन्स एसोसिएशन तथा आल इण्डिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ वर्किंग वूमैन्स ने अन्य महिला संगठनों के साथ मिलकर आयोजित किया था. सेंटर फार वूमैन्स डवैल्पमेंट स्टडीज की वीना मजूमदार ने अध्यक्षता की.

समाचारों के मुताबिक पंजाब, कानपुर, बंबई व अन्य स्थानों पर कई डाक्टर सामंती समाज के महिलाओं के प्रति निम्नस्तरीय दृष्टिकोण का फायदा उठाते हुए लिंग निर्धारण प्रयोग के वैज्ञानिक लक्ष्य का गलत इस्तेमाल करके मुनाफा कमा रहे हैं.

प्रस्ताव पेश करते हुए विमल रणदिवे ने कहा कि आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से भारत में महिलाओं का स्तर नीचा होने के कारण महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम होती जा रही है. महिलाओं को अच्छा भोजन व स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती. बार-बार गर्भवती होने से उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ती है और फिर नर बच्चे की तलाश में मादा भ्रूण को गिराने के लिए बार-बार गर्भ निवारण से महिलाओं का स्वास्थ्य और बिगड़ेगा. वैज्ञानिक ज्ञान का इस तरह गलत इस्तेमाल सभी नैतिक सिद्धान्तों, मानव अधिकारों तथा समानता व न्याय के सिद्धान्तों का जबरदस्त उल्लंघन है. महिलाओं के समानता, सम्मान व न्याय के अधिकारों में बाधक सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन लाने की बजाए, ये प्रयोग मादा बच्चों के प्रति मौजूदा नकारात्मक रवैये का इस्तेमाल करते हैं और इसे खुलेआम प्रोत्साहन देते हैं. प्रस्ताव पर बोलने वालों में सुशीला गोपालन, डा. इमराना कदीर, डा. सत्यमाला, डा. बानू कोयाजी, डाइरेक्टर, के.ई. एम. डी. हस्पताल, पुणे व आल इण्डिया इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज के डाक्टर, लतिका सरकार, बानी दास गुप्ता व अन्य शामिल थे.

प्रस्ताव में भारत सरकार से मांग की गई कि मादा भ्रूण को गिराने के लिए किए जाने वाले लिंग-निर्धारण प्रयोग पर तुरन्त प्रतिबंध लगा दिया जाए. प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ. इसने इण्डियन मेडिकल काउंसिल से भी अनुरोध किया कि यह उन डाक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करे जो इस अनैतिक कार्य के लिए विज्ञापन देते हैं और ऐसा कार्य करते हैं.

इस समाजिक प्रतिगामी व्यवहार के खिलाफ जनमत जुटाने के लिए एक गोष्ठी आयोजित करने का बैठक में फैसला लिया गया. ☐

राज्यों के समाचार

पश्चिम बंगाल

जूट मजदूरों की दस अगस्त को हड़ताल

पश्चिम बंगाल के ढाई लाख जूट मजदूर 17 बंद मिलों को बिना शर्त खोलने, चार घंटों के लिए उत्पादन बंद करने या ले-आफ करने के कदम को वापस लेने, किसानों को कच्चे जूट का 300 रुपये प्रति क्विंटल दाम देने और 1979 के समझौते को लागू करने की मांग करते हुए 10 अगस्त को एक दिन की हड़ताल करेंगे. हड़ताल का आह्वान राज्य के जूट उद्योग की सभी यूनियनों : बंगाल चटकल मजदूर यूनियन, राष्ट्रीय चटकल मजदूर यूनियन, फेडरेशन आफ चटकल मजदूर यूनियन, नेशनल यूनियन आफ जूट वर्कर्स, पश्चिम बंगाल चटकल मजदूर फेडरेशन, आल इण्डिया जूट टैक्सटाइल वर्कर्स फेडरेशन और बंगाल प्रोविंशियल चटकल मजदूर यूनियन, ने संयुक्त रूप से किया है. इस आह्वान का समर्थन सीटू, एटक, डब्लू बी पी एन टी यू सी, यू टी यू सी, टी यू सी सी व एच एम एस ने किया है.

इंटक अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की लाइन ले रही थी. लेकिन सीटू के बार-बार समझाने पर कि इसके लिए यह उपयुक्त अवसर नहीं है क्योंकि इससे केवल जूट सामंतों को ही फायदा पहुंचेगा, अन्ततः इंटक ने हड़ताल में शामिल होना स्वीकार कर लिया है.

पिछले एक साल से जूट मालिकान कई मिलों को बंद करने की कोशिश कर रहे थे और कई मिलों में तालाबंदी कर रखी थी. सतरह बंद या तालाबंद मिलों से साठ हजार मजदूरों पर असर पड़ा है. अब वे 4 घण्टों के लिए उत्पादन बंद करने की योजना बना रहे हैं. भारत सरकार जूट मालिकान को बड़ी बेशर्मी के साथ यह जानते हुए कि वे धन दूसरे राज्यों में अन्य उद्योगों में लगाते हैं आर्थिक सहायता देती रही. सभी यूनियनों की लगातार मांग व संसद में सवाल उठने के बावजूद भारत सरकार ने जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने से इन्कार कर दिया है. इसके विपरीत यह मिलों की आर्थिक सहायता के लिए सैस (कल्याण) फंड चालू करने की साजिश कर रही है जिससे फंड में अनुदान के लिए किसानों पर और टैक्स लगेगा. पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम मंत्री ने इसे फिर दोहराया है कि सामंतों से उद्योग को बचाने का केवल एक ही समाधान है कि कच्चे जूट के व्यापार सहित समूचे जूट उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए.

बंगाल चटकल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष नीरेन घोष, एम.पी., ने 16 जुलाई को जारी किए गए एक बयान में जूट मजदूरों का आह्वान किया है कि वे संयुक्त संघर्ष को तब तक जारी रखें जब तक भारत सरकार उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए मजबूर नहीं हो जाती. □

रिजर्व बैंक कर्मचारियों का संघर्ष

कलकत्ता में 6 जुलाई को आयोजित ट्रेड यूनियनों के एक सम्मेलन ने मजदूर विरोधी व जन विरोधी नीतियों के कारण रिजर्व बैंक के प्रबंधकों की निन्दा की और कर्मचारियों के खिलाफ सभी दंडात्मक कदमों को वापस लेने तथा विवाद के सभी मुद्दों पर समझौता करने के लिए आल इण्डिया रिजर्व बैंक एंप्लाईज एसोसिएशन के साथ सार्थक वार्ता शुरू करने की मांग की. सम्मेलन ने सभी ट्रेड यूनियनों का आह्वान किया कि वे अतिरिक्त कार्यभार, चौथी जनरेशन के कंप्यूटर व उत्पीड़न के खिलाफ रिजर्व बैंक कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन करें.

बैंक एंप्लाईज फेडरेशन, पश्चिम बंगाल, ने अपनी सभी यूनिटों को निर्देश दिया है कि वे रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम सामान्य स्थिति लाने तथा विवाद के निपटारे के लिए तार भेजें. □

बिहार

विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की गौरवमयी हड़ताल

राज्य के सोलह हजार विश्वविद्यालय व कालेज प्राध्यापकों की हड़ताल जो 12 अप्रैल से शुरू हुई थी 10 जुलाई को वापस ले ली गई. पहले अराजपत्रित अधिकारियों के समक्ष घुटने टेकने के बाद अब राज्य सरकार को प्राध्यापकों के सामने भी झुकना पड़ा और मुख्य मंत्री को जो स्वयं एक भूतपूर्व अध्यापक हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल के नेतृत्व करने वाली संयुक्त संघर्ष समिति को उनके 31 सूत्री मांग पत्र पर विचार करने का आश्वासन देना पड़ा.

श्रमविरोधी व अधिनायकवादी सरकार ने हड़ताल को तोड़ने के लिए अपनी हर कोशिश की. महिला प्राध्यापकों सहित करीब 2,000 प्राध्यापकों को गिरफ्तार किया गया. महीनों तक वेतन रोकने के साथ-साथ गर्मी की छुट्टियां भी जल्दी कर दी गई. खुलने से पहले ही सभी विश्वविद्यालयों व कालेजों को बंद कर दिया गया. सभी जनसंगठनों व विपक्षी दलों ने उनके संघर्ष का समर्थन किया. समूचे राज्य के 10 हजार से भी ज्यादा प्राध्यापकों ने 29 जून को पटना में विधान सभा के सामने भारी प्रदर्शन किया. उनकी आवाज विधान सभा में भी गूंजी और अध्यक्ष को विपक्षी नेता व मुख्य मंत्री को अपने कक्ष में बुलाकर समझौतावार्ता के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी नियुक्त करनी पड़ी. आल इण्डिया कालेज एण्ड यूनिवर्सिटी टीचर्स फेडरेशन के 7 जुलाई को कलकत्ता में संपन्न एक सम्मेलन ने अपनी सभी यूनिटों को निर्देश दिया कि वे बिहार के प्राध्यापकों के समर्थन में एकजुटता व्यक्त करें. □

विद्युत मजदूरों की हड़ताल तीसरे महीने में

पुलिस दमन, भारी गिरफ्तारियों व सरकार के गलत प्रचार के बावजूद राजस्थान के विद्युत बोर्ड के 65 हजार मजदूरों की हड़ताल तीसरे महीने में पहुंच गई

राज्य के मजदूरों के सभी हिस्सों ने हड़ताल का समर्थन किया है. राज्य अभियान समिति के आह्वान पर राजस्थान के मजदूरों ने हड़ताली मजदूरों के समर्थन में प्रतिरोध दिवस मनाए और हड़ताल की. खबरों के मुताबिक 15 जुलाई की राज्यव्यापी औद्योगिक हड़ताल संपूर्ण थी और इससे मजदूरों का मनोबल बढ़ा है जो मांगों के माने जाने तक संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध हैं.

राजस्थान के मजदूर वर्ग का सीटू द्वारा अभिनंदन

सीटू के अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे तथा महासचिव पी. राममूर्ति, एम.पी., ने 15 जुलाई को यह बयान जारी किया:

सेंटर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियंज राजस्थान के मजदूर वर्ग का हार्दिक अभिनन्दन करता है जिसने अपनी जायज मांगों के लिए संघर्षरत राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के मजदूरों के संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता का इजहार किया है. राजस्थान के विभिन्न केंद्रों से प्राप्त समाचारों के अनुसार कोटा, उदयपुर, भिवानी व अन्य केंद्रों में हड़ताल संपूर्ण है और जयपुर की एक या दो फैक्ट्रियों में मजदूरों के केवल एक छोटे से हिस्से ने काम पर रिपोर्ट किया है.

सीटू राजस्थान सरकार की निंदा करती है जिसने संघर्ष में हस्तक्षेप करने से तथा जनता की भारी पीड़ाओं व समूचे विपक्ष के संयुक्त आन्दोलन के बावजूद वार्ता द्वारा समझौता करने से इंकार कर दिया है. जिस लापरवाही के साथ यह विपक्षी नेताओं की हड़ताल के साथ पेश आई है वह यह दर्शाती है कि यह आई एम एफ ऋण की शर्तों के तहत काम कर रही है क्योंकि ये शर्तें मजदूरों की वेतनवृद्धि पर रोक लगाती हैं.

यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ समाचार पत्रों ने आज यह प्रकाशित किया है कि हड़ताल का समाधान हो गया है और इसे वापस ले लिया गया है, यह खबर बिलकुल गलत है.

सीटू सरकार को चेतावनी देती है कि अगर यह अपनी इस नीति को जारी रखती है तो देश का मजदूर वर्ग मूक दर्शक बना नहीं रहेगा.

सीटू राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के मजदूरों से अपील करती है कि वे किसी गलत प्रचार के शिकार न बनें तथा अपनी शक्ति को मजबूत बनाए और यहां उनकी सफलता की गारंटी होगी. सीटू राजस्थान राज्य कमेटी व अन्य ट्रेड यूनियन केंद्रों से संघर्षरत विद्युत मजदूरों के समर्थन में अपनी एकजुटता कार्यवाही को और तेज करने की अपील करती है. □

मध्य प्रदेश

पुलिस की गोली से वरबेली खदान मजदूरों की मृत्यु

सार्वजनिक उद्योग मैंगनीज ओर इण्डिया की वरबेली मैंगनीज ओर खदानों में तीन हजार मजदूर काम करते हैं जिनपर प्रबन्धक बर्बर दमन कर रहे हैं तथा इन्टक को संरक्षण दे रहे हैं. इन्टक का असली चेहरा बेनकाब होने के बाद मजदूरों ने एक अलग यूनियन बनाई जिसके कारण प्रबन्धकों ने पुलिस की मदद से मजदूरों को तंग करना शुरू कर दिया. यूनियन के एक अगुवा कार्यकर्त्ता को दिए गए कारण बताओ नोटिस की मांग करते हुए भारी संख्या में महिला कामगारों सहित मजदूर खदान मैनेजर के दफ्तर गए और धरना दिया. मैनेजर के फोन करने पर तुरन्त पुलिस आ गई और बिना किसी भड़कावे पर महिलाओं पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया. इससे मजदूर गुस्से में आ गए जिनपर पुलिस इन्स्पैक्टर ने अपनी पिस्तौल चला दी. तीन मजदूर घटनास्थल पर ही मारे गए और एक महिला ने हस्पताल जाकर दम तोड़ दिया.

सीटू की मध्य प्रदेश कमेटी ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है. सीटू अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे ने 2 जुलाई को जारी एक बयान में मजदूरों की हत्या और उनके संघर्षों को दबाने के लिए उन पर बर्बर दमन की निंदा की है.

दो दिवसीय सफल उज्जैन बन्द

विनोद व बिमल कपड़ा मिल पिछले एक साल से बन्द हैं जिन्हें खुलवाने के लिए इनके 8 हजार मजदूर आन्दोलन तेज कर रहे हैं. सीटू की पहलकदमी पर एक संघर्ष समिति बनी है जिसमें सीटू, एटक, बी एम एस व इन्टक का एक हिस्सा शामिल है. पिछले साल 15 सितम्बर को सफल उज्जैन बन्द के साथ भारी जुलूस, धरने व प्रदर्शन आयोजित किए गये थे. मिलों को खोलने के सरकार के सारे आश्वासन झूठे निकले. राज्य विधान सभा के सामने 15 अप्रैल को एक भारी धरना आयोजित किया गया और इस दिन एक हजार मजदूरों को गिरफ्तार किया गया. ट्रेड यूनियनों के अलावा सी.पी.आई.(एम), सी.पी.आई., लोकदल, कांग्रेस(एस), बी.जे.पी. व डी.एस.पी.

(शेष पृष्ठ दस पर)

भारत में कपड़ा मजदूरों की सबसे लंबी हड़ताल

देश के कपड़ा मज़दूरों के संघर्ष के इतिहास में मौजूदा बम्बई कपड़ा मज़दूरों की हड़ताल 8 जुलाई को 172वें दिन में प्रवेश करके अब सबसे लम्बी हड़ताल हो गई है. बम्बई के कपड़ा मज़दूरों ने ही 1928 में 171 दिन की हड़ताल की थी.

इस दिन समूचे महाराष्ट्र के 4 लाख कपड़ा मज़दूरों ने बम्बई के कपड़ा मजदूरों की हड़ताल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए एक दिन की सफल हड़ताल की.

राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर बम्बई में 8 जुलाई को श्रम-विरोधी काले कानून दिन के मनाए जाने से यह दिन और भी स्मरणीय हो गया. शिवाजी पार्क में एक लाख से ज्यादा मजदूरों ने एक रैली में भाग लिया और एस्मा को रद्द करते हुए तथा बर्बर दमन का सामना करते हुए सरकार की श्रम-विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का अपना दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया.

ढाई लाख हड़ताली मज़दूरों ने केन्द्रीय श्रम-मंत्री के 30 रुपये प्रति मास तदर्थ अदायगी तथा 650 रुपये की अग्रिम राशि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उनकी हड़ताल 19 जुलाई को पूरे गौरव के साथ 7वें महीने में पदार्पण कर गयी. इस तरह कपड़ा-धन्नासेठों व सरकार तथा इसकी पिट्ठू इंटक को मात दे दी गयी.

एक दिन की हड़ताल

महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन की महाराष्ट्र के कपड़ा मजदूरों की एकजुटता हड़ताल को शिकस्त देने के लिए अपनी मशीनरी खोल दी. भारी तादाद में गिरफ्तारियां की गई, पुलिस व गुंडों को नियुक्त किया गया, सीटू कार्यकर्त्ता एस.एम. दाल्वी को निष्कासन आदेश दे दिए गए, गिरनी कामगार सभा के एक कार्यकर्त्ता की इंटक के गुंडों द्वारा हत्या कर दी गई. प्रभावशाली कांग्रेस(आई) नेता व भूतपूर्व मंत्री मज़दूरों को काम पर जाने के लिए मजबूर करने के लिए मिल गेटों पर गए. लेकिन इन सरकारी नुमाइंदों को मज़दूरों ने भगा दिया और नागपुर, शोलापुर, हिंगनघाट, पुलगांव (वर्धा), धुले, जलगांव, सांग्ली व अन्य सभी स्थानों में हड़ताल पूर्ण सफल रही.

हड़ताल से पहले ट्रेड यूनियन संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं के तीन दलों ने पूरे राज्य का भ्रमण किया और जन-सभाओं को सम्बोधित किया. छोटे-छोटे कस्बों तक में रैलियों में 10-15 हजार लोगों की भागीदारी इस बात का सबूत थी कि बम्बई कपड़ा मिल हड़ताल अब एक ज्वलंत सवाल है. राज्य भ्रमण करने वाले सीटू नेताओं में के.एल. मालाबादे, बी.पी. कश्यप, ए.बी. सावंत, दिनकर कादव आदि शामिल हैं.

पावरलूम मज़दूर

पावरलूम वर्कर्स यूनियन (सीटू) के आह्वान पर इचलकरंजी (कोल्हापुर जिला) के 40 हजार पावरलूम मज़दूरों ने 8 जुलाई को हड़ताल की. सीटू नेता के.एल. मालाबादे व सूर्यजी सालुंके तथा 62 महिलाओं सहित 352 मज़दूरों को गिरफ्तार किया गया. बम्बई कपड़ा मज़दूरों की हड़ताल के समर्थन में विशाल प्रदर्शन किए गए.

महिलाओं द्वारा प्रदर्शन

बम्बई कपड़ा मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में 7 जुलाई को बम्बई में 5,000 महिलाओं का एक मोर्चा श्रमिक महिला संघ व भारतीय महिला फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया जिसका नेतृत्व अन्यों के अलावा अहिल्या रंगनेकर, प्रभा सामंत, सुहासिनी अलि, तारा वालांजु, तारा रेड्डी, मंजु गांधी, कुसुम नडकर्णी व गीता महाजन ने किया. यह मोर्चा जिसमें भारी संख्या में कपड़ा मजदूरनियां थी चर्चगेट से शुरु होकर हुतात्मा चौक होता हुआ बम्बई मिल ओनर्स एसोसिएशन के दफ्तर के सामने पहुंचा जहां पर एक प्रदर्शन किया गया. इसके बाद यह मन्त्रालय गया जहां पर एक जन-सभा दो घन्टे चली. अहिल्या रंगनेकर व तारा रेड्डी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मण्डल ने हड़ताली कपड़ा मज़दूरों के साथ तुरन्त समझौतावार्ता करने की मांग करते हुए राज्य श्रम-मन्त्री को एक ज्ञापन दिया. बाद में, रैली को सम्बोधित करते हुए अहिल्या रंगनेकर ने कहा कि सरकार बड़े व्यापारी घरानों की पालतू बन रही है

(शेष पृष्ठ बारह पर)

संयुक्त इस्पात सम्मेलन द्वारा औद्योगिक कार्यवाही का आह्वान

बोकारो इस्पात नगरी के सांस्कृतिक केंद्र में 17 व 18 जुलाई को एकत्र सभी इस्पात प्लांटों के एक हजार से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए मांग पत्र को मनवाने के लिए इस्पात प्रबन्धकों को मजबूर करने के लिए एक संयुक्त आन्दोलन शुरू करने के फैसले की घोषणा का जोरदार स्वागत किया. यह अखिल भारतीय इस्पात मजदूर सम्मेलन ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के फैसले के अनुसार आयोजित किया गया था.

सांस्कृतिक केंद्र के हाल की क्षमता केवल 700 थी. अनेक प्रतिनिधियों को बरामदों में खड़े होकर सम्मेलन की कार्यवाही में भाग लेना पड़ा. सम्मेलन की सफलता के लिए करीब 200 वालंटियरों ने दिन-रात काम किया. सभी इस्पात नगरियों में सम्मेलन के पोस्टर लगाए गये थे.

एक अध्यक्ष-मंडल, जिसमें के.के. त्रिपाठी (सीटू), नितिश सेठ (एटक), व समरेश सिंह (बी एम एस) शामिल थे, ने सम्मेलन की कार्यवाही चलाई. अध्यक्ष-मंडल की ओर से 19 जनवरी की हड़ताल को सफल बनाने के लिए शहीद हुए साथियों की याद में एक प्रस्ताव रखा गया. सम्मेलन में कामरेड ए. बालसुब्रह्मन्यम, कामरेड एस.एस. युसुफ व ट्रेड यूनियन आन्दोलन के अन्य नेताओं की मृत्यु पर एक शोक प्रस्ताव अपनाया गया.

सीटू की ओर से सम्मेलन का अभिनन्दन करते हुए समर मुखर्जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में वेतन समझौता वार्ताओं के लिए बी.पी.ई. के निर्देशों की निन्दा की और वेतन वृद्धि को उत्पादकता से जोड़ने की सभी कोशिशों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए इस्पात मजदूरों का आह्वान किया. यह बताते हुए कि सरकार की आर्थिक नीतियों से किस प्रकार मजदूर वर्ग व मेहनतकश जनता पर हमले हो रहे हैं, उन्होंने आई एम एफ ऋण के खतरनाक परिणामों की चर्चा की. उन्होंने देश में बढ़ते हुए अधिनायकवाद के खतरे के खिलाफ संघर्ष में प्राप्त एकता को और मजबूत करने का आह्वान किया.

एटक के एन.के. कृष्णन ने इंदिरा सरकार की मजदूर वर्ग विरोधी व जनविरोधी नीतियों को शिकस्त देने के लिए और अधिक संघर्ष करने की जरूरत पर जोर दिया.

बी एम एस के मित्रा ने वेतनजाम व बी पी ई निर्देशों के के खिलाफ इस्पात मजदूरों की बढ़ती एकता का स्वागत किया.

इस्पात मजदूरों की समस्याओं पर सभी प्लांटों की यूनियनों के वक्ताओं ने अपने विचार रखे. उन्होंने नौकरशाही, इंटक यूनियनों के प्रति सहानुभूति, भ्रष्टाचार, झूठे आरोपों पर ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न, मजदूरों की शिकायतों के प्रति लापरवाही आदि की निन्दा की. उन्होंने ठेका मजदूरों की भयंकर हालत बयान की और बताया कि ठेका मजदूरों से संबंधित कानूनों को लागू नहीं किया जाता. इस्पात प्लांटों की खदानों की दयनीय दशा की चर्चा की गई. कुल 30 वक्ता बोले और उन्होंने इस्पात मजदूरों की एकता पर जोर दिया.

यूटीयूसी (एल एस) के वक्ताओं ने विघटनकारी भाषण दिए लेकिन बाकी सभी ने एकजुट संघर्ष पर जोर दिया. यूटीयूसी (एल एस) ने राष्ट्रीय अभियान समिति की कार्य-प्रणाली की आलोचना की. एक वक्ता ने पश्चिम बंगाल सरकार की निन्दा करने की कोशिश की लेकिन प्रतिनिधियों के विरोध से उसे चुप कर दिया गया.

सीटू सचिव एम.के. पंधे ने सम्मेलन का मुख्य प्रस्ताव "मौजूदा समझौता-वार्ताएं व इस्पात मज़दूरों के कार्य" पेश किया. प्रस्ताव में बी.पी.ई. के श्रम-विरोधी निर्देशों व एस.ए.आई.एल. प्रबंधकों की देर करने वाली नीतियों की निंदा की गई.

प्रस्ताव में कहा गया है कि, "यह तथ्य कि कुल उत्पादन खर्च में से वेतन खर्च का अंश पिछले 4 सालों में 18 प्रतिशत से कम होकर 13 प्रतिशत हो गया है. यह साफ दर्शाता है कि उनकी ज्यादा उत्पादन की कोशिशों के बावजूद इस्पात मजदूरों के साथ इस्पात प्रबंधकों ने ठीक व्यवहार नहीं किया है. इसके अलावा उन्हें महंगाई की पूरी भरपाई से भी वंचित रखा गया है जिसके कारण पिछले समझौते के काल में उनके जीवन स्तर में काफी गिरावट आई है. यदि सरकार इस्पात मज़दूरों पर अपनी नीति लादने में सफल हो जाती है तो उनके जीवन-स्तर में और भी गिरावट आएगी. इसलिए यह और भी जरूरी है कि वे अपनी पूरी ताकत के साथ इन नीतियों का प्रतिरोध करें ताकि अपने जीवन-स्तर की रक्षा की जा सके.

प्रस्ताव में समूचे देश के लिए यह संघर्ष कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया :

(1) सम्मेलन के फैसलों को जनप्रिय बनाने के लिए 15 अगस्त 1982 तक सभी इस्पात नगरियों व प्लांटों में यूनिट-स्तर के संयुक्त सम्मेलन आयोजित करना.

(2) इस्पात उद्योग में, निजी व सार्वजनिक दोनों, प्रबंधकों की देर करने की नीति व बी.पी.ई. के निर्देशों के खिलाफ 25 से 31 अगस्त 1982 को समूचे देश में अखिल भारतीय प्रति-रोध सप्ताह मनाया जाना. इस सप्ताह में बिल्ले लगाए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे तथा 30 व 31 अगस्त को जुलूस निकाले जाएंगे और 31 अगस्त को सभी इस्पात प्लांटों में भारी प्रति-रोध प्रदर्शन किए जाएंगे.

लगातार संघर्ष के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की एक लघु समिति बनाना प्रस्तावित किया गया जो सितम्बर के पहले सप्ताह में स्थिति का जायजा लेगी और अगर जरूरी हुआ तो इस्पात उद्योग में अखिल भारतीय हड़ताल सहित आगे का संघर्ष कार्यक्रम तैयार करेगी.

गया सिंह (एटक) व समरेश सिंह (बी.एम.एस.) ने प्रस्ताव का समर्थन किया. यह गगनभेदी नारों के बीच सर्वसम्मत्ति से अपनाया गया.

(शेष पृष्ठ बारह पर)

पंजीकृत बेरोज़गारी के नए कीर्तिमान

आंध्र प्रदेश	15,23,000
असम	3,72,000
बिहार	27,12,000
गुजरात	5,34,000
हरियाणा	3,71,000
हिमाचल प्रदेश	1,57,000
जम्मू व कश्मीर	54,000
कर्नाटक	6,24,000
केरल	18,19,000
मध्य प्रदेश	8,84,000
महाराष्ट्र	13,65,000
मनीपुर	1,27,000
मेघालय	10,000
नागालैण्ड	8,000
उड़ीसा	4,80,000
पंजाब	4,85,000
राजस्थान	3,94,000
तमिलनाडु	12,33,000
त्रिपुरा	78,000
पश्चिम बंगाल	27,48,000
उत्तर प्रदेश	14,76,000
अण्डमान-निकोबार	11,000
चण्डीगढ़	68,000
दिल्ली	3,06,000
गोआ-दमन-दिऊ	32,000
लक्षद्वीप	5 000
मिजोराम	15,000
पांडीचेरी	42,000
कुल	1,74,24,000

(स्रोत : इंडियन लेबर जरनल, फरवरी 1982)

मध्य प्रदेश समाचार . . .

(पृष्ठ सात से आगे)

ने मिल कर एक "मिल चलाओ संघर्ष समिति" बनाई है जिसने 24 मई को मिल खोलने की मांग करते हुए एक भारी जुलूस निकाला. सरकार ने 10 जून को मिल खोलने का आश्वासन दिया, लेकिन कांग्रेस(आई) के दो दलों के आपसी मतभेद के कारण मिल अभी भी बन्द हैं. समिति व संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने 30 जून को उज्जैन बन्द का आह्वान किया. समिति के नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद भी बन्द सफल रहा. एक जुलाई को भी बन्द जारी रहा. सरकार ने एकबार फिर 7 दिनों में मिल खोलने का आश्वासन दिया. लेकिन मिल खोले नहीं गए. मजदूर अपना संघर्ष जारी रखे हैं.

सीटू का राज्य सम्मेलन

सीटू का दूसरा राज्य सम्मेलन 4 से 6 जून को भिलाई में सम्पन्न हुआ. सीटू अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे ने इसका उद्घाटन किया. सम्मेलन में पी.के. मोइत्रा मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के महासचिव चुने गए. □

मंहगाई के आंकड़े

आधार 1960

राज्य/केन्द्र	1982		
	फर.	मार्च	अप्रै.
बिहार			
जमशेदपुर	434	443	444
झारिया	434	438	442
कोडरमा	497	494	498
मोंघाइर	481	487	488
नोआमुंडी	445	442	447
गुजरात			
अहमदाबाद	465	459	461
भावनगर	463	460	452
हरियाणा			
यमुनानगर	482	490	498
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	481	484	537
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	478	475	477
भोपाल	504	502	491
ग्वालियर	472	477	476
इन्दौर	501	512	505
महाराष्ट्र			
बम्बई	469	468	473
नागपुर	480	477	476
शोलापुर	517	493	492
पंजाब			
अमृतसर	470	475	480
राजस्थान			
अजमेर	483	481	483
जयपुर	494	494	496
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	442	446	446
सहारनपुर	470	471	475
वाराणसी	497	510	508
पश्चिम बंगाल			
आसनसोल	457	462	465
कलकत्ता	413	416	422
दार्जीलिंग	380	378	381
हावड़ा	396	409	408
जलपाईगुड़ी	354	358	370
रानीगंज	440	439	450
दिल्ली	474	484	493
भारत	458	457	449

केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों द्वारा अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस

केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की कनफेडरेशन ने 15 जून की अपनी बैठक में 20 जुलाई को अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस मनाने का फैसला किया. इस दिन अप्रैल 1982 के बाद के महंगाई-भत्ते की अदायगी, सभी के लिए बोनस, केरल व अन्य स्थानों में कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कदमों की वापसी, यूनियनों व एसोसिएशनों की दैनिक गतिविधियों में रुकावटों के खात्मे और सार्वजनिक उद्योग के समान वेतन-ढांचे के लिए केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की मांग पर विचार करने के लिए एक सदस्यीय ट्रिब्यूनल की स्थापना आदि की मांगों के समर्थन में रैलियां व प्रदर्शन किए जाएंगे.

कनफेडरेशन का अखिल भारतीय आन्दोलन का फैसला पिछली जनवरी/फरवरी में संयुक्त परामर्श समिति को नजर-अन्दाज करते हुए सरकार द्वारा कुछ नेताओं के साथ किए गए महंगाई-भत्ता समझौते को कर्मचारियों पर लादने की पृष्ठभूमि में हुआ है. इस श्रम-विरोधी समझौते के खिलाफ समूचे देश में सरकारी कर्मचारियों ने प्रतिरोध किया है. सीटू व अन्य ट्रेड यूनियनों ने सरकार की वेतन जाम और कर्मचारियों में फूट डालने की नीति की निंदा की है व कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन किया है. संयुक्त आन्दोलन में अड़चने डालने की सरकारी कोशिशों को शिकस्त देते हुए कनफेडरेशन ने 20 जुलाई को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाने का सर्वसम्मति से फैसला लिया. □

टोपा कोलियरी में दुर्घटना से 16 मजदूर मरे

बिहार की टोपा कोलियरी में 16 जुलाई को हुई दुर्घटना में मरने वालों की संख्या अब 16 हो गई है और कहा जाता है कई अन्यों की स्थिति चिंताजनक है.

दुर्घटना में 40 टन वजन की 50 × 35 फुट की छत गिर गई थी. एक चश्मदीन गवाह के अनुसार छत को किसी भी स्तम्भ से सहारा नहीं दिया गया था फिर भी अफसरान ने विस्फोट का आदेश दिया. सेन्ट्रल कोलफील्ड के अफसरान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके कोयला निकलवा रहे थे.

हालांकि न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गये हैं और दो खदान अधिकारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है, लेकिन ट्रेड यूनियनों ने खदानों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है.

जहां कोयला खदानों में सुरक्षा नियमों का इस प्रकार उल्लंघन किया जा रहा है वहां भारत सरकार ने खदान सुरक्षा पर पांचवें सम्मेलन के फैसलों को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है. श्रम-मंत्रालय ने खदान का एक साल में एक बार निरीक्षण तक के लिये फंड अभी तक नहीं दिए हैं. किसी भी तरह कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए सुरक्षा को सी.आई.एल. ने ताक पर रख दिया है. इसके प्रति सरकार की लापरवाही ही खदानों में जीवनहानि के लिए जिम्मेदार है. □

डी जी एम एस दफ्तर में गुण्डागर्दी

डाइरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी (डी जी एम एस) के दफ्तर में मान्यता प्राप्त यूनियन को हथियाने के लिए इन्टक के गुण्डों की कोशिश को कर्मचारियों की सतर्कता के कारण शिकस्त दे दी गई. इस दफ्तर के करीब 500 कर्मचारी नॉन-गजिटेड एम्प्लाईज एसोसिएशन के तहत संगठित रहे और डी जी एम एस धनबाद व प्रबन्धकों को इस यूनियन को ही कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व संगठन मानना पड़ा.

इन्टक के गुण्डों ने जाली आमसभा करके इसी नाम से काम करना शुरू कर दिया था. उन्होंने एसोसिएशन के दफ्तर पर एक और ताला लगा दिया था जिसे कर्मचारियों ने तोड़ दिया.

स्थिति का फायदा उठाते हुए प्रबन्धकों ने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को ज्वाइंट स्टाफ कॉउंसिल की बैठक में भाग लेने से मना कर दिया. प्रतिरोध के बाद केन्द्रीय श्रम-मन्त्रालय ने इसे ही एकमात्र प्रतिनिधित्व एसोसिएशन स्वीकार किया.

एसोसिएशन गुप्त मतदान के लिए तैयार थी पर इन्टक इसके विरुद्ध थी.

डी जी एम एस से 15 जुलाई को एम. के. पंधे व जी.के. बक्शी मिले और एसोसिएशन की गतिविधियों में दखल न देने की मांग की. डी जी एम एस ने इस एसोसिएशन से ही बात करने का आश्वासन दिया. □

सीमेंट मजदूरों ने मांग-दिवस मनाया

सीटू, एटक, व बी एम एस से सम्बद्ध सीमेंट यूनियनों की 30 मई को नई दिल्ली में सम्पन्न बैठक के फैसलों के मुताबिक समूचे देश में 12 जुलाई को सीमेंट यूनियन ने एक मांग-दिवस मनाया. मजदूरों ने रामानुजन-निवेतिया की मध्यस्थता से मांगों पर फैसला कराने का विरोध किया और उन्होंने सीमेंट धन्नासेठों के भारी मुनाफों की पृष्ठभूमि में अधिक वेतन व अन्य बेहतर सेवाशर्तों की मांग की.

आगे की कार्यवाही तय करने के लिए संयुक्त बैठक अगस्त के अन्त में होगी. □

संपादक मंडल

बी.टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम.के. पंधे (संपादक)

कपड़ा मजदूरों की हड़ताल......

(पृष्ठ नौ से आगे)

और अधिनायकवादी कांग्रेस(आई) सरकार को अपनी मांगें स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए संयुक्त जुझारू आन्दोलन को और तेज करने के लिए मजदूरों का आह्वान किया.

जेल भरो

आठ जुलाई की रैली में जिसका मेल राष्ट्रीय अभियान समिति के काले विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन करने के आह्वान के साथ किया गया था, दसियों हजार कपड़ा मज़दूरों ने भाग लिया और अपने संघर्ष को सरकार की मज़दूर विरोधी नीतियों व काले विधेयकों के खिलाफ देश के मज़दूर-वर्ग के संघर्ष के साथ जोड़ा. इसने कपड़ा हड़ताल के समर्थन में 'जेल भरो' आंदोलन शुरु करने का आह्वान किया यदि 18 जुलाई तक जिस दिन इस हड़ताल के छः महीने पूरे हो जाते हैं सरकार हड़ताली कपड़ा यूनियनों के साथ समझौता-वार्ता शुरू नहीं करती है. रैली को सम्बोधित करने वालों में पी.के. कुरणे (सीटू), जी.वी. चिटनिस (एटक), सोमनाथ दुबे (एच.एम.एस.), पुष्पा महत्ता (यू.टी.यू.सी.), दत्ता सामंत (एम.जी.के.यू.), जयंत गोखले (बी.एम.एस.) व आर.जी. कार्निक (राज्य सरकार कर्मचारी) शामिल थे.

कपड़ा मजदूरों की सहायता

कपड़ा मजदूरों की माली-सहायता जारी है. अन्य संगठनों के साथ सीटू, डी.वाई.एफ.आई. व एस.एफ.आई. की स्थानीय कमेटियां हड़ताली मज़दूरों की सहायता के लिए धन-माल एकत्र कर रही हैं. पुस्तकों, अन्न व अन्य वस्तुओं के अलावा 10,000 रुपये एकत्र किए गए जिन्हें मज़दूरों में बांट दिया गया.

मज़दूरों का मनोबल ऊंचा है और पूरे गौरव व सम्मान के साथ हड़ताल 19 जुलाई को सातवें महीने में प्रवेश कर गई.

लोकसभा में गूंज

लोक सभा में 9 जुलाई को इस मुद्दे को उठाते हुए सी.पी.आई.(एम) के एम.एम. लारेंस, एम.पी., ने सरकार की मामूली अदायगी के प्रस्ताव की आलोचना की और महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री की निंदा की जिसने कई एम.एल.ए. के साथ इंटक की बैठक में भाग लिया और इंटक नेताओं का हड़ताल का मुकाबला ईंट का जवाब पत्थर से देकर करने का आह्वान किया.

उत्तर-हीन श्रममन्त्री

श्रम मन्त्रालय की परामर्श समिति की 5 जुलाई की बैठक में सी.पी.आई.(एम) के एम.पी., मुहम्मद इस्माइल, ने सरकार पर दोष लगाया कि यह मज़दूरों को संगठन की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार व हड़ताल के अधिकार से वंचित रख रही है. अन्य सांसदों ने उनका समर्थन किया. श्रम मंत्री के पास इसका कोई उत्तर नहीं था इसलिए उन्होंने कार्यसूचि पूरी हुए बिना ही बैठक को खत्म कर दिया. □

संयुक्त इस्पात सम्मेलन......

(पृष्ठ नौ से आगे)

सम्मेलन में बम्बई के कपड़ा मजदूरों का उनकी छः महीने की हड़ताल के लिए अभिनंदन करते हुए, संसद में पेश किए गए 4 श्रम-विरोधी काले विधेयकों की निंदा करते हुए तथा इनकी वापसी की मांग करते हुए, दस हजार ठेका मज़दूरों की हड़ताल का नेतृत्व करने वाले टिस्को के 10 मज़दूरों के उत्पीड़न की निन्दा करते हुए, सेल सेंट्रल कोल वाशरीज का बी.सी.सी.एल. में विलय का विरोध करते हुए, एच.एस.सी.एल. मज़दूरों की सेवा सुरक्षा की मांग का समर्थन करते हुए और सूखा पीड़ित जनता के लिए राहत की मांग करते हुए कई प्रस्ताव अपनाए गए. एक प्रस्ताव में इस्पात उद्योग में ठेका प्रणाली जारी रखने पर रोष प्रकट किया गया तथा ठेका मज़दूरों के नियमन की मांग की गई.

सम्मेलन के बाद एक विशाल रैली आयोजित की गई जिसमें जनवादी महिला संगठनों व एस.एफ.आई. की यूनिटों ने मज़दूरों के साथ एकजुटता व्यक्त की. रैली को अन्यों के अलावा समर मुखर्जी, एम.पी., राम अवतार शास्त्री, एम.पी., एम.के. पंधे, राम प्रकाश मिश्रा, गया सिंह व के.के. त्रिपाठी ने सम्बोधित किया.

हालांकि एच.एम.एस. नेतृत्व सम्मेलन के संयोजन में शामिल था और एक एच.एम.एस. नेता स्वागत समिति का अध्यक्ष चुना गया था लेकिन ठीक अन्तिम समय पर उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने से इंकार कर दिया. सम्मेलन में यह आशा व्यक्त की गई कि एच.एम.एस. सम्मेलन के फैसलों को लागू करने में सहयोग करेगा. □

नामांकन

सीटू सचिव एम के पंधे का नाम कमेटी आन कनवेंशन में सीटू का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामजद किया गया है.

विशेषांक

सीटू मजदूर का सितम्बर 1982 का अंक एक विशेषांक होगा. इसमें वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट व प्रस्ताव तथा पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा से सम्बन्धित लेख होंगे. इसकी कीमत एक रुपया होगी. अपनी प्रतियां शीघ्र आरक्षित कर लें. □

कोयला मजदूरों की अखिल भारतीय आंदोलन की तैयारी

कोल इंडिया लिमिटेड व ऊर्जा-मंत्रालय की 1979 से चले आ रहे मज़दूरों के चिकित्सा व शिक्षा सुविधाओं, घायलों को मुआवजा देने, कार्यशर्तों के स्तर तय करने इंसेंटिव अदायगी, आवास निर्माण, ग्रेच्युटी की अदायगी आदि जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर कोई समझौता जानबूझ कर न करने की नीति के कारण कोयला खदान प्रबन्धकों तथा मज़दूरों में टकराव पैदा होना लाजिमी लगता है. राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-II प्रबन्धकों को यह निर्देश देता है कि यह कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय कमेटी (जे.बी.सी.सी.आई) में बहस के द्वारा इन मुद्दों पर कुछ ही महीनों में निर्णय करे. लेकिन इन्टक के साथ सांठ-गांठ करके प्रबन्धकों ने इस निर्देश व स्वीकृत फैसले का उल्लंघन किया है. सितम्बर 1981 में जब इन मुद्दों पर बहस जारी थी अचानक जे.बी.सी.सी.आई. में इंटक के प्रतिनिधियों ने बैठक से बहिर्गमन किया और ऊर्जा-मंत्रालय की सहायता से इसने सी.आई.एल. प्रबन्धकों को इसके लिए राजी कर लिया कि यह न तो जे.बी.सी.सी.आई. की कोई बैठक बुलाए और न ही कोई समझौता करे. उन्होंने अचानक यह भी मांग की कि जे.बी.सी.सी.आई. में उसके 50 प्रतिशत सदस्य हों और इस आधार पर इसका पुनर्गठन किया जाए.

इंटक को संरक्षण देते हुए सी.आई.एल. व विभिन्न कोयला कम्पनियों ने उत्पादन समिति की बैठक बुलाने से इंकार कर दिया, जबकि कोयला मज़दूरों में असंतोष बढ़ रहा है और राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-II 31 दिसम्बर 1982 को खत्म हो रहा है. इंटक ने ब्लैक-मेल नीति अपना ली है और केन्द्रीय ऊर्जा व श्रम मंत्रालयों की मदद से वेतन समझौता-वार्ता समिति में 50 प्रतिशत स्थान प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, नहीं तो वह इसे वेतन-बोर्ड या ट्रिब्यूनल के पास भेजने की मांग कर रही है. सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को शिकस्त देने के खिलाफ और कोयला उद्योग में 1974 से जारी द्विपक्षीय वार्ताओं को धराशाही करने की कोशिशों के खिलाफ कोयला मज़दूर संघर्ष करेंगे ही.

गैर-इंटक खनिक फेडरेशनों ने सरकार के तत्वाधान तक में गुप्त मतदान द्वारा अपनी-अपनी ताकत का ब्यौरा प्राप्त करना स्वीकार कर लिया है.

इसी दौरान जहां कोयले के दाम नाजायज बढ़ा दिये गए हैं वहां कोयला मज़दूरों की दशा बिगड़ती जा रही है और घातक दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं. गुण्डों की मदद से कोल इंडिया ने मजदूरों पर आतंक ढाना शुरु कर दिया है ताकि मजदूरों की मांगों का दमन किया जा सके.

दिल्ली में 14 जुलाई को आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में सीटू, एटक, एच.एम.एस. व बी.एम.एस. ने कोल इंडिया को चेतावनी दी है कि यदि प्रबंधक वेतन समझौता वार्ताएं शुरु करने से इन्कार करते हैं तो सात लाख कोयला मजदूर हड़ताली कार्यवाही के लिए मजबूर होंगे. सभी गैर-इंटक यूनियनें 21 व 22 अगस्त को धनबाद में एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करेंगी जिसमें आगामी संघर्ष कार्यक्रम तैयार किया जाएगा. □

बीड़ी मजदूरों की सहकारिताएं

लाखों बीड़ी मजदूरों की दशा में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने उन्हें सहकारिताओं के तहत संगठित करने का प्रस्ताव रखा है. इस संदर्भ में श्रम मंत्रालय ने 2 जुलाई को नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई जिसमें राज्य सरकारों के श्रम सचिवों व बीड़ी मजदूर कल्याण फंडों के क्षेत्रीय आयुक्तों के साथ कई बीड़ी संगठनों व ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया जिसमें सीटू व एटक शामिल थे.

श्रम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने अध्यक्षता करते हुए बीड़ी मजदूरों की दयनीय दशा को स्वीकार किया तथा इसे सुधारने के लिए सबके विचार आमंत्रित किए. उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारें उनके लिए सहकारिताएं बनाती हैं तो केंद्रीय सरकार धन देने के लिए तैयार है.

यह कहते हुए कि ऐसी सहकारिताएं निजी क्षेत्र का मुकाबला नहीं कर सकती श्रम सचिवों ने इसकी संभावना का नकारात्मक उत्तर दिया. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 53 लाख रुपये की सहायता 3 सहकारिताओं को दिए जाने के बावजूद ये सुचारू कार्य नहीं कर रही हैं.

सीटू प्रतिनिधि सी. कन्नन व केरल दिनेश बीड़ी सेंट्रल कोआप्रेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष जी. के. पानीक्कर ने कहा कि कुछ राज्यों में इसे प्रयोगात्मक रूप में शुरू किया जाना चाहिए. पानीक्कर ने अपनी सोसाइटी की रिपोर्ट दी जहां 27 हजार मजदूर कार्यरत हैं और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने उनके सुझाव का समर्थन किया.

अतिरिक्त सचिव ने कहा कि केन्द्रीय सरकार एक केन्द्रित योजना बनाएगी जिसे राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हैंडलूम कोआप्रेटिव्ज के अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा.

सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, बीड़ी मज़दूर कल्याण फंड, की 10 फरवरी की बैठक के फैसले के अनुसार मजदूरों को अभी तक परिचय-पत्र नहीं दिए गए हैं और उन्हें पंजीकृत नहीं किया गया है. इस पर सीटू के सी. कन्नन ने कहा कि ऐसा न होने की वजह से मज़दूरों को बीड़ी मजदूर कल्याण योजना की सुविधाएं नहीं मिलती हैं. अतिरिक्त सचिव ने आश्वासन दिया कि दो महीनों के भीतर पंजीकरण व परिचय पत्र देने का कार्य पूरा कर दिया जाएगा. □

न्यूनतम वेतन कम करने की खुलेआम कोशिश

न्यूनतम वेतन एडवाइजरी बोर्ड की बैठक 15 जुलाई को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई. इसमें केंद्रीय सरकार के सड़कों, भवनों व रनवे के निर्माण व मरम्मत तथा पत्थर तोड़ने, कृषि व विभिन्न प्रकार की खदानों से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किया गया.

बोर्ड की 25 मार्च की बैठक में एकमत से यह फैसला लिया गया था कि प्रस्तावित दरें बहुत कम होने के कारण सरकार दो महीनों के भीतर पर्याप्त न्यूनतम वेतन सूचित करे और इस फैसले के कारण ही प्रस्तावित दरों को स्वीकार कर लिया गया था. कीमतों में वृद्धि के कारण वास्तविक वेतनों में कमी को दूर करने के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देने के सिद्धांत पर निर्णय लेने का भी फैसला लिया गया था.

केंद्रीय सरकार ने फैसले को मानते हुए न्यूनतम वेतन की दरों में एक बार फिर मामूली वृद्धि घोषित की है.

सड़कों, भवनों व रनवे के निर्माण व मरम्मत तथा पत्थर तोड़ने व कृषि से संबंधित कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार ने जनसंख्या के आधार पर शहरों व कस्बों को पांच भागों में विभाजित करते हुए न्यूनतम वेतन की निम्नलिखित दरें प्रस्तावित की हैं:

श्रेणी	क्षेत्र ए	क्षेत्र बी-1	क्षेत्र बी-2	क्षेत्र सी	क्षेत्र डी
	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.
अकुशल	10.00	9.00	8.25	7.50	6.75
अर्द्धकुशल	12.50	11.50	10.25	9.50	8.50
कुशल	16.00	14.50	13.00	12.00	10.75
अतिकुशल	20.00	18.25	16.50	14.75	13.75
लिपिक	16.00	14.50	13.00	12.00	10.75

(दैनिक दरें)

विभिन्न खदानों में काम करने वालों के लिए केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित दरें घोषित की हैं:

	भूतल से ऊपर	भूगर्भ में
	रु. पै.	रु. पै.
अकुशल (प्रतिदिन)	8.75	10.50
अर्द्धकुशल ,,	11.00	13.25
कुशल ,,	13.50	16.25
लिपिक ,,	13.50	—

सीटू ने इसका प्रतिरोध किया और 500 रुपये प्रति मास या 17 रुपये प्रति दिन न्यूनतम वेतन के अन्तरिम कदम की मांग की और यह भी मांग की कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के मानकों के आधार पर वेतन तय होने तक अर्द्धकुशल, कुशल और अतिकुशल आदि कर्मचारियों के लिए सानुपातिक वेतन तय किए जाएं. यह भी बताया गया कि केंद्रीय सरकार ने ट्रेड अप्रेंटिसों के वजीफे की दर पहले साल 230 रुपये और चौथे साल 400 रुपये घोषित की है. ट्रेनिंग पारित करने के बाद यदि अर्द्धकुशल या कुशल पद पर भी उनको नियुक्त किया जाय तो उनका वेतन कम हो जाएगा.

सीटू के प्रतिनिधि चंडी प्रसाद ने 15 जुलाई की बैठक में इस मुद्दे को उठाया और एक को छोड़ कर बाकी सभी वेतन वृद्धि के पक्ष में थे. लेकिन दोपहर बाद जब बैठक फिर से शुरू हुई तब यह देखा गया कि सीटू के अलावा सभी इस अनुरोध के साथ कि घोषित दरें कम हैं इस लिए सरकार न्यूनतम वेतन में शीघ्र ही वृद्धि करे, प्रस्तावित दरों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे. इस सवाल पर चंडी प्रसाद ने अपनी असहमति दायर की जिसमें यह कहा गया है:

कथित फैसले का पालन करते हुए भारत सरकार द्वारा विभिन्न तिथियों को जारी किए गए नोटिफिकेशन बहुत ही कम हैं और ये विभिन्न राज्यों में किए गए न्यूनतम वेतनों में संशोधन को मद्देनजर नहीं रखते.

उदाहरण के लिए हरयाणा राज्य ने अकुशल के लिए 340 रुपये प्रतिमास व कुशल श्रेणी के लिए 515 रुपये प्रतिमास न्यूनतम वेतन की घोषणा की है. यहां तक कि एक पिछड़े राज्य मध्य प्रदेश ने भी अकुशल मजदूर के लिए 210 रुपये प्रतिमास न्यूनतम वेतन तय किया है.

सीटू ने जायज आधार पर प्रस्तावित दरों पर आपत्ति की थी जिसे बोर्ड के सभी सदस्यों को दिया गया था लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.

अब प्रस्तावित दरों को स्वीकारने का अर्थ है रोजगार के हर क्षेत्र में वेतन को कम करना और कई राज्यों की स्थिति कठिन हो जाएगी.

इस लिए मैं सरकार से बिना किसी समय-बद्ध प्रक्रिया के भविष्य में दरों को संशोधन करने के अनुरोध के साथ वेतन वृद्धि में मामूली व तुच्छ वृद्धि के समय गुजारने की प्रक्रिया से सहमत नहीं हूं.

मौजूदा धांधली खत्म करने के लिए उन्होंने न्यूनतम वेतन के लिए सिद्धान्त को शीघ्र ही तय करने का सुझाव दिया.

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के संबंध में सरकार ने दो पैसे प्रति बिंदु प्रति दिन की दर घोषित की है जबकि सीटू ने छः पैसे प्रति बिंदु प्रति दिन की मांग की है. बोर्ड ने एक सदस्य को छोड़ कर, आधार 1960 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर पांच पैसे प्रति बिंदु प्रति दिन का फैसला किया.

न्यूनतम वेतन को जानबूझ कर कम करने की यह साफ कोशिश है. केवल दृढ़ संघर्ष ही स्थिति सुधार सकता है. फरीदाबाद के साथियों का यही अनुभव है. इस लिए सीटू केंद्र ने इस मुद्दे पर एक पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित करने का फैसला किया है. □

संक्षिप्त समाचार

सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी ने 27 जून को जारी किए गए एक वक्तव्य में नरूला रैस्तरां के बाहर पिछले 24 दिनों से शांतिपूर्ण धरना दे रहे हड़ताली मजदूरों को जबरदस्ती हटाने के लिए पुलिस की निन्दा की है. सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी के संयुक्त सचिव सहित 41 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया. नरूला रैस्तरां के मजदूरों के संघर्ष के समर्थन में 27 जून को हड़ताल करने के लिए कनाट प्लेस के होटल उद्योग के मजदूरों का सीटू ने अभिनंदन किया है.

× × ×

डिस्ट्रिक्ट देहरादून ड्राइवर व कंडक्टर्स यूनियन (सीटू) ने अपने 11-सूत्री मांगपत्र के समर्थन में 9 जून को हड़ताल करने का फैसला किया. यूनियन ने मांग पत्र 3 जुलाई को मालिकान को तथा श्रम विभाग को दे दिया था. बार-बार ज्ञापन मालिकान व श्रम विभाग को दिए गए लेकिन उसके बाद भी मालिकान समझौता-वार्ता में नहीं आए. यूनियन ने मजबूर होकर 3 जुलाई को हड़ताल का नोटिस दिया.

× × ×

वेरावल, गुजरात, के फिशिंग प्लांट की एक प्रवासी मजदूरनी मेरी वक्काचन की मृत्यु की सीटू ने सरकार से सार्वजनिक जांच की मांग की है. उसे एक श्रम ठेकेदार के. नारबर्ट केरल से वेरावल में काम करने के लिए लाया था जहां उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी आश्चर्यजनक हालत में हत्या कर दी गई. सीटू की गुजरात राज्य कमेटी ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद पुलिस की मालिकान को बचाने व श्रम कानूनों के उल्लंघन में मिलिभगत की पुष्टि की है. सरकार ने दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है.

× × ×

हरियाणा में जिला सोनीपत के जाथेरी स्थान पर स्थित हिंदुस्तान दोवीदत्त (एवरेस्ट) की मजदूर यूनियन (सीटू) ने प्रबंधकों को एक मांग पत्र दिया है. प्रबंधकों ने एक और यूनियन की मौजूदगी के बहाने वार्ता करने से इंकार कर दिया. सीटू ने प्रबन्धकों को गुप्त मतदान के लिए मजबूर कर दिया और सीटू यूनियन भारी मतों से विजयी हुई. लेकिन प्रबंधक अभी भी अड़े रहे और बात करने से मना कर दिया. यूनियन ने मांगों पर वार्ता द्वारा समझौता करने की मांग करते हुए संघर्ष छेड़ दिया है.

× × ×

दिल्ली दूरदर्शन केंद्र के कार्यकारी स्टाफ ने 14 से 23 मई तक एक सफल 24 घंटे का धरना देकर प्रबंधकों को मुअत्तिली आदेश वापस लेने, तबादले आदेश रद्द करने और उनकी मांगों पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया. दूरदर्शन प्रोग्राम स्टाफ यूनियन, इंजीनियरिंग एंप्लाईज एसोसिएशन (ए आई आर व टी वी), टैक्नीकल एंप्लाईज एसोसिएशन (ए आई आर व टी वी), दूरदर्शन टैक्नीकल प्रोग्राम स्टाफ एसोसिएशन, डी-ग्रुप एंप्लाईज एसोसिएशन व मोटर ड्राइवर्ज एसोसिएशन के एक संयुक्त मंच के नेतृत्व में यह धरना आयोजित किया गया था.

× × ×

एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी एब्बट लैबोरेट्रीज के मजदूर 27 अप्रैल से यूनियन के महासचिव आर.जी. माइकल की बहाली की मांग करते हुए बंबई में लगातार हड़ताल पर चले गए. हड़ताल से एक दिन पहले प्रबंधकों ने फैक्ट्री से कच्चे माल को ट्रकों द्वारा बाहर निकालने की कोशिश की ताकि दवा उत्पादन बंबई से बाहर लघु उद्योग द्वारा कराया जा सके. लेकिन मजदूरों ने ट्रकों को घेर लिया. प्रबंधक बातचीत के लिए मजबूर हुए और महासचिव को बहाल कर लिया गया. हड़ताल 17 मई को वापस ले ली गई.

× × ×

थेमिस फार्मेस्यूटिकल्स के फील्ड मजदूरों ने 21 मई को बंबई में एक दिन की सम्पूर्ण हड़ताल की. हड़ताल का आह्वान महाराष्ट्र सेल्स एण्ड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्ज एसोसिएशन ने प्रबंधकों के मनमाने तबादले की नीतियों व कार्यभार में वृद्धि के खिलाफ तथा अन्य मांगों के समर्थन में किया गया था. हड़ताली फील्ड मजदूरों ने एक दिन का धरना व भारी प्रदर्शन आयोजित किया तथा समूचे दफ्तर का काम ठप्प कर दिया.

× × ×

जयपुर के निकट डगोटा झरना सोप स्टोन माइंस के मजदूर 24 मई से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं. गोलचा ग्रुप ऑफ एंप्लाईज यूनियन व न्यूनतम वेतन कानून का उल्लंघन करते हुए प्रबंधकों ने अचानक भूगत मजदूरों का न्यूनतम वेतन 15 रुपये से कम करके रु. 8.67 कर दिया. श्रम विभाग ने उल्टे प्रबंधकों का समर्थन किया. अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के अलावा मजदूरों के पास कोई और विकल्प नहीं था. □

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

सोहयो को सीटू का संदेश

जनरल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ जापान (सोहयो) के 66वें सालाना सम्मेलन के अवसर पर इसके अध्यक्ष साथी मोटोफुमि माकीदा के नाम सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति ने 29 जून को यह संदेश भेजा है :

प्रिय साथी,

आपके 19 जून 1982 के पत्र से यह जान कर कि सोहयो अपना 66वां सालाना सम्मेलन टोकयो में 25 से 28 जुलाई 1982 को आयोजित कर रहा है मुझे प्रसन्नता हुई है.

मुद्रास्फीति व बेरोजगारी का खतरा जिसने अब आर्थिक तौर पर विकसित देशों पर भी असर डाला है इस तथ्य को साफ प्रकट करता है कि मौजूदा पूंजीवादी प्रणाली में अर्थ-व्यवस्था में संकट का कोई अन्त नहीं है और यह हर संकट के बाद और अधिक गहराता जाता है. मुद्रास्फीति व बेरोजगारी के खतरे को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक सामाजिक प्रणाली न बदली जाय और उत्पादन के सभी साधनों का समाजीकरण न किया जाए. मजदूरों के हितों व अधिकारों की और रोजगार व जीविका के अधिकार की रक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन के साथ एकजुटता मजबूत करने के आपके फैसले का हम स्वागत करते हैं. हमारा पक्का विश्वास है कि आपके नेतृत्व में जापान का मजदूर-वर्ग सामाजिक प्रणाली में बदलाव लाने तथा मनुष्य का शोषण खत्म करने के लिए संघर्ष करेगा.

अमरीका की बेरोक हथियार दौड़ और सीमित न्यूक्लीयर युद्ध के इसके प्रस्ताव ने पहले ही दुनिया के सामने न्यूक्लीयर युद्ध द्वारा नर संहार का खतरा पैदा कर दिया है. अमरीका सहित समूची दुनिया में इस नीति के खिलाफ प्रतिरोध एक शक्तिशाली शांति-आन्दोलन में विकसित हुआ है. जापान का मजदूर-वर्ग और जनता, जो न्यूक्लीयर युद्ध के सबसे पहले शिकार हुए, निरस्त्रीकरण के लिए, न्यूक्लीयर हथियारों के खिलाफ, शांति की सुरक्षा के लिए व युद्ध के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. संघर्ष को मजबूत करने के आपके बयान का हम स्वागत करते हैं. हमें विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलते हुए भारत व जापान का मजदूर-वर्ग जंगबाजों की करतूतों को शिकस्त दे सकेगा.

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंज के 17 लाख सदस्यों की ओर से आपके 66वें सालाना सम्मेलन के अवसर पर आपके माध्यम से जापान के मजदूर-वर्ग को मैं हार्दिक बिरादराना शुभकामनाएं भेजता हूं. हमें आशा है कि भविष्य में हमारे दो संगठनों में बिरादराना सम्बन्ध मजबूत होंगे. □

लेबनान पर ताजा इस्राइली हमलों की सीटू द्वारा निंदा

सीटू अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे तथा महासचिव पी. राममूर्ति, एम.पी, ने 7 जुलाई को यह बयान जारी किया है.

संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के युद्ध-विराम के आदेश का उल्लंघन करके तथा विश्व जनमत की परवाह न करते हुए इस्राइलियों द्वारा लेबनान पर किए गए ताजे हमले की सीटू निंदा करती है. इस्राइल के यहूदीवादी शासकों ने पश्चिमी बेरुत को पूरी तरह घेर लिया है और इसकी जल व विद्युत सप्लाई बन्द कर दी है. उन्होंने सारे रास्तों को इस तरह बन्द कर दिया है कि औरतों व बच्चों सहित वहां की नागरिक आबादी के लिए भोजन भी नहीं पहुंचाया जा सकता.

इस तथ्य की परवाह न करते हुए कि अपने इस तरह के कामों के जरिये वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अतीत में सर्वसम्मति से अपनाए गए मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा का उल्लंघन कर रहे हैं, इस्राइली हमलावर फिलिस्तीनी मुक्ति योद्धाओं का खात्मा करने और इस प्रक्रिया में हजारों साधारण नागरिकों की हत्या करने की अपनी नीति चला रहे हैं.

सीटू मांग करती है कि मानव-जाति के खिलाफ उनका अपराध बन्द होना चाहिए तथा भारत सरकार विश्व की शांति-प्रेमी तथा जनवादी ताकतों के सहयोग से इस मुहिम को रोकने के लिए अमरीकी साम्राज्यवादियों पर दबाव डाले जो इस्राइली यहूदीवादी शासकों को समर्थन दे रहे हैं.

सीटू एक बार फिर अपनी सम्बद्ध यूनियनों को निर्देश देती है और सभी ट्रेड यूनियनों व जनवादी संगठनों से अपील करती है कि वे मानव अधिकारों के इस खुले उल्लंघन के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें. सीटू एक बार फिर अपनी सम्बद्ध यूनियनों से अपील करती है कि वे इस संकट की घड़ी में बहादुर पी.एल.ओ. योद्धाओं को जो भी मदद दे सकते हैं फौरन दें. □

विकसित पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी

(लाखों में)

	1981	अप्रैल 1982
ओ.ई.सी.डी. देश	240	280
ई.ई.सी. देश	91	105
अमेरिका	85	103
ब्रिटेन	30	40
कनाडा	12	14

अन्य देशों में 1981 तक स्थिति इस प्रकार थी :

फ्रांस व इटली	20 लाख से अधिक
पश्चिम जर्मनी व जापान	13 लाख
स्पेन	7.5 ,,
बेल्जियम	4.0 ,,
डेनमार्क	2.5 ,,

एम.के. पंधे द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6 तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी.डी.ए. शेड्स, ओखला फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित.